23/5/17

राज्य द्वारा ए डी पी ओ।

अभियुक्तगण उपजेल गोहद से प्रस्तुत। उनकी ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र श्रीवास्तव, श्री एम0एस0 यादव।

अभियुक्त शिवराजसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0। उन्होंने अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन पत्र अतर्गत धारा 437 द०प्र0स0 मय मेमो पेशकर उसके संबंध में निवेदन किया कि संबंधित आरक्षी केन्द्र द्वारा मिथ्या आरोप में गिरफतार कर लिया गया हैं उसका अपराध से कोई संबंध नही है। मृतिका की दुर्घटना में मृत्यु हुई है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त स्थानीय निवासी है, वह न्यायालयीन शर्तों का पालन करने को तत्पर है। अतः अभियुक्त को जमानत पर छोडे जाने की प्रार्थना की है।

ए डी पी ओ ने आवेदन पत्र का विरोध कर अभियुक्त को अभिरक्षा से मुक्त करने के आवेदन को निरस्त करने की प्रार्थना की।

उभयपक्षो को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि अभियुक्त पर उसकी भाभी मृतिका लाली की षडयंत्र पूर्वक सहअभियुक्तगण से मिलकर ग्राम चम्हेडी के पास वाहन चढाकर हत्या कारित करने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है जिसमें अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में सारवान तथ्य अभिलेख पर प्रतीत होते हैं। यद्यपि अभियोगपत्र प्रस्तुत हो चुका है, किन्तु दण्डनीय अपराध अत्यंत गंभीर प्रकृति का होकर मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय हैं। साथ ही अनन्यतः मान० सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं। ऐसे में अभियुक्त जमानत पर छोडे जाने का पात्र नहीं हैं। अतः जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण उपार्पण तर्क हेतु नियत है। उभयपक्षो के तर्क सुने गये।

अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 16.02.17 को थाना प्रभारी मौ को जरिये 100डायल सूचना प्राप्त हुई कि थाना मौ की चौकी झांकरी अंतर्गत मौ गोहद रोड पर ग्राम चम्हेडी गेट के पास एक अज्ञात महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी है। उक्त सूचना पर तत्काल रवाना होकर मौके पर पहुचकर मौके पर चौकी से एएसआई परशुराम पाल ने सूचनाकर्ता चरनसिंह राणा की सूचना पर देहाती मर्ग कायम किया गया। शव परीक्षण कराया गया। मर्ग जांच में मृतिका की शिनाख्त लाली पत्नी स्व0 बंटी बढई निवासी अडूपुरा थाना मौ के रूप में हुई। उसके माता पिता से ज्ञात हुआ कि वह अंतिम बार अपने देवर शिवराज के साथ गयी थी तत्पश्चात् से उसका पता नहीं चला। अभियुक्त से पूछताछ करने पर मृतिका की हत्या अपने चार अन्य साथी अभियुक्तगण के साथ उन्हें षडयंत्र में शामिल कर चार लाख रूपये में करने का सौदा किया और उसके निष्पादन में शिवराज मृतिका को फोन करके बुलाया और बाद में वाहन मारूति ईगो एम0पी0—32 सी—1681 में ले जाकर उसी वाहन से कुचलकर हत्या कारित कर दी। अनुसंघान में संपत्ति जब्त की गयी। अभियुक्त की कॉल डिटेल संलग्न की गयी, कथन लिए गए,

ASTOR AZO

proceeding 20 शिनाख्त Order or कराई अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया। गयी। proceeding with Signature of Presiding Officer जब्दशुदा पदार्थो एफ0एस0एल0 को जांच हेतु भेजा

Pleaders where Signature of necessary

의 अधीन अभियोगपत्र न्यायालय एकमात्र अभियुक्तगण के को उपापित किया जाता है। क्षेत्राधिकार मान० सत्र न्यायालय पेश किया विरुद्ध धारा गया 302, 201, 120 उक्त को होने से प्रकरण मान0 धाराओं (a) 8 अधीन 34 भादिव के विचारण

बाद

दस्तावेजो प्रकरण में द०प्र०स० की धारा 207 के की प्रति पूर्व मे दिलाई जा चुकी है। अधीन अभियोगपत्र एवं सलग्न

साथ ही सत्र न्यायालय लोक अभियोजक को प्रकरण मे निष्पादन लिपिक मे प्रकरण को सुव्यविश्थित उपीपण सबधी सूचना भेजी जाए। आगामी क्र पहुचाये नियत दिनाक जाने की व्यवस्था करे। के पूर्व माननीय

माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु भेजी जाए। उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर को प्रकरण मे जपशुदा सपित

आगामी दिनांक न्यायालय में 11 बजे उप० रखें। अभियुक्तगण जेल में हैं, को अभियुक्तगण को मान० प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद अतः जेलर को निर्देशित किया जावे

अभिरक्षा अवधि का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

मिण्ड को म् प्रकरण उपार्पण की सूचना मान0 सत्र जाने बावत् प्रकरण पत्रावली प्रेषित की जावे। मय ज्ञापन के मान0 सत्र न्यायालय में संघारण की दृष्टि न्यायालय

प्रकर्ण माननीय अपर 범괴 न्यायालय गोहद के समक्ष अभियुक्त

उपस्थिति हेतु दिनाक 05.06.17 को पेश

Judicial Magistrate First Gohad distt.Bhind (M.P.) lass

の事の